

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for Non linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector--Pauri

No-1343/1/26-शां.अधि. (सां.शां.) 2018

Date-30-09-2018

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India, Letter NO-11 9/98-FC(pt) dated 3rd Augst 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditionak forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF, s letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of Non-linear project it is certified that 0.012 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of

Commandant District Training Center Home Guards Srikot Srinagar (Pauri Dist. Pauri Garhwal) (name of user agency) for Training center Pauri Garhwal Nirmal (purpose for

diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of Village Srikot Srinagar (purpose for) village(s) in Srinagar tehsil Dist. Pauri Garhwal. U.K.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and sttiement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.012 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consulation and meeting of the Forest Right committee (s), Gram Shbha(s) sub Divisional level Committee(s) and the Disirict level Committee are enclosed as annexure 65 to 70 annexure 67

(b) the diverion of forest land for facilities managed by the Government as requirrd under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it

(c) the proposal does not involve reognised rights of primitive Tribal Groupa and pre-agricultural communities

Eucl: AS above

signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Signature and official seal of the District Collector, Pauri Garhwal.

FORM-II

(for projects other than Non-linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector--PAURI

No-1343/1/26-शां.अधि. (सां.शां.) 2018 Dated-30-9-18

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In copmlinace of the ministry of environment and Forests (MOEF), Government of India, Letter NO-11 9/98-FC(pt) dated 3rd Augst 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditionak forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposed it is certified that 0.012 hectares tof forest land proposed to be diverted in government for of

Commandant District Training Center (name of user agency) for Commandant District Training Center Home Guards (purposes for diversion of forest land) PAURI Garhwal

Srinagar Village(s) in Srinagar tehsil district falls within jurisdiction of Srikot

it is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire. 0.812 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right committee (s), Gram Sabha (s) sub- Divisional level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 (one) to 02 True annexure.....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the gram sabha of SRIKOT...GANGANALI villages(s) is enclosed as annexure 03.....of annexure 04.....
- (d) the discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been complete and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribes Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguard as per section 3(1)(e) of the FRA.

Eucl: As above.

Gaurav
COMMANDANT
DIST TRAINING CENTER
HOME GUARD
SHRINAGAR (GARHWALI)

Mudra
 राज्य जय निरीक्षक
 क्षेत्र उड़ीसा
 तहसील-श्रीनगर
 जिला-पौड़ी गढ़वाल

fehml
तहसीलदार
श्रीनगर गढ़वाल

Amul
 (shri **SUSHIL KUMAR**) I.A.S.
 District Collector
 Pauri Garhwal

प्रारूप-30,1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT. PAURI...GARHWAL.....U.K.

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers(recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of.....PAURI..... district, constituted under FRA.2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs./Miss. SUSHIL KUMAR I.A.S. deputy commissioner,.....PAURI.....an dated 30-09-2018.....at time.....12:00.....at.....PAURI.....in which application claiming rights in.....0.812.....area measuring.....0.812.....hect. for the construction of....PARED GRAUND...forest land under FRA. 2006. of the following application duly processed and recommended by the sub division level committees of...Srinagar.....sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

after scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/ claims were found to have been made & hence District Level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: PAURI.....
Dated: 30-09-2018

[Signature]
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
गणपत

[Signature]
COMMANDANT
DIST TRAINING CENTER
HOME GUARD
SHRINAGAR (GARHWAL)

[Signature]
राज्य उप निरीक्षक
क्षेत्र कटगढ़-12
तहसील-श्रीनगर
जिला-पौड़ी गढ़वाल

[Signature]
तहसीलदार
श्रीनगर गढ़वाल

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम:- होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु परेड गाउंड का निर्माण
कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,-----

उपखण्ड.....परिक्षेत्र क अन्तर्गत.....(अन्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.647 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि..... 30 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.812 हे0 वन भूमि) का जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों मी मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी.....) की दिनांक 13.8.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों मी मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 क अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मायादत्त जोशी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री मायादत्त जोशी उपजिलाधिकारी..... अध्यक्ष मायादत्त जोशी
- 2- श्री गोबिंद लाल उप प्रभागीय वनाधिकारी..... सदस्य गोबिंद लाल
- 3- श्री लक्ष्मी देवी सहायक समाज कल्याण अधिकारी..... सदस्य/सचिव लक्ष्मी देवी
- 4- श्री लक्ष्मी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र..... सदस्य लक्ष्मी देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

परियोजना कमाण्डेट जिला प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 0.812 हे0 वन भूमि वन पंचायत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया । ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।
सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 क प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।
बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड.....परिक्षेत्र के अन्तर्गत.....परियोजना के निर्माण हेतु 0.812 हे0 वन भूमि कमाण्डेट जिला प्रशिक्षण केन्द्र प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

गोबिंद लाल उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील पौड़ी
जनपद पौड़ी
18.8.18

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी पौड़ी गोबिंद लाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

गोबिंद लाल उप प्रभागीय वनाधिकारी
पौड़ी उप वन पंचायत
पौड़ी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील पौड़ी
जनपद.....
18.8.18

Dated 30-09-2018

30/9/18 67

**Deputy Commissioner Chairman
District Level committee**

IT is further Certified that Minutes Of Meeting Of Construction of homeguards Parade Ground
Distrcet Training Center homeguards Srinegar Srikot Ganganali Badrinath Road ()
regarding FRA is as following

Sl. no		Remarks
(a)	The complete process of identification and Settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.812 heetares area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Sub Division Level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of Record attachment as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversions of forest land for facillities managed by the government as under required Section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and others traditional forest Dweller. No Objection certificate concerned villages regarding construction of motor road is attached.
(e)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and others traditional forest Dwellers.

सदस्य जिला पंचायत
(सुपेन्द्र लाल)
सदस्य नं (2) टकोली, सुराल गांव
Member, District Bord
पौड़ी गढ़वाल
Pauri Garhwal

जिला समाज कल्याण अधिकारी
District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal
पौड़ी गढ़वाल

उपवन संरक्षक
District Forest Officer
Pauri Garhwal
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

Commandant
District Training Center
Homeguards Srinegar Srikot
Pauri Garhwal

Deputy Commissioner
जिलाधिकारी
गढ़वाल
Pauri Garhwal

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम श्रीनोट जंगानाली
तहसील श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी के अन्तर्गत जिला पौड़ी गढ़वाल परियोजना के निर्माण हेतु 50 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.647 हे० सिविल सोयम भूमि 165 हे०, वन पंचायत भूमि 165 हे० अर्थात् कुल 0.812 हे० वन भूमि को होमगार्ड्स विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत श्रीनोट द्वारा दिनांक 10.7.18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम श्रीनोट जंगानाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जिला पौड़ी गढ़वाल प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है श्रीनगर

हो/-
ग्राम सभा

(संलग्न 4)

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड - खिरसू
पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
मुहर सहित

महादेव प्रसाद
ग्राम पंचायत सदस्य
श्रीनोट जंगानाली उत्तरांचल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि कमाण्डेण्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स को ग्राम श्रीकोट गंगानाली पट्टी कटल्ल्यू श्रीनगर गढ़वाल को अनकनन्दा नदी के किनारे भूमि दिये जाने में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा उक्त भूमि को उक्त विभाग को निःशुल्क देने को तैयार है।

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1- मधुदेव प्रसाद | 8 रमेश लाल |
| 2- रामेश्वर शर्मा | 9 राजीव सिंह गग्गिया लोन्पो टोक |
| 3- केशव चन्द | 10 देव सिंह जैसी |
| 4- देवेंद्र सिंह किरट प्रवर्धन प्रधान | 11 मदन सिंह भण्डारी 2-8-2018 |
| 5- | 12 रामप्रसाद सिक्कुरी |
| 6- श्रीधर मिश्र चन्द रूप | 13 सोहन तिवारी - |
| 7- गणेश शर्मा | 14 राजीव सिंह बराल - |
| 8- सलीश तिवारी | 15- वाधुधर सिंह मिश्र |
| 9- शम्भु प्रसाद | 16 |
| 10- शिव शर्मा | 17- लक्ष्मी देवी |
| 11- लोह गजपत | |

सदस्य
क्षेत्र पचायत श्रीकोट (02)
पि० अ० किरु
बोडी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कमान्डेंट, जिला प्रविभागा केंद्र, डोमना-
इसको ग्राम श्रीकोट मंगानाली पट्टी कटलसूँ अलकनन्दा नदी के किनारे भूमि
दिये जाने में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा उक्त भूमि
को उक्त विभाग को निःशुल्क देने को तैयार है।



- 1) देवी
- 2) शंभु देवी
- 3) दीपा देवी
- 4) देवी विष्णु अंप्रथ
- 5) सोम देवी
- 6) मनवरासिंह कपडारी
- 7) लक्ष्मी

- (8) रमेश लाल
- (9) ~~रमेश चंद्र~~
- (10) राजेशकुमार अग्रवाल
- (11) महादेव सिंह अग्रवाल
- (12) राजेश लाल
- (13) विमोद सिंह पवाल
- (14) महादेव अग्रवाल
- (15) अम्बिका देवी
- (16) अम्बिका देवी

अनापत्ति

DIVISIONAL COMMANDANT
U.P. HOME GUARDS
DIVISION

COMMANDANT
DIST. TRAINING CENTER
HOME GUARD
SHRINAGAR (GARHWAL)

COMMANDANT
DIST. TRAINING CENTER
HOME GUARD
SHRINAGAR (GARHWAL)